क्रमांक– 7

मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो

शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2017 (माघ 8, 1938)

अनुदान मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव की सूचना संबंधी नियम एवं प्रपत्र में संशोधन की सूचना.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमावली के नियम 154-कटौती प्रस्तावों की सूचना एवं तदाशय से आनुषंगिक प्रपत्र में विधान सभा के पत्रक भाग-दो, क्रमांक 30, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा संशोधन किया गया है. विधान सभा के बजट सत्र में अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निम्नांकित संशोधत नियमों के अधीन संशोधित प्रपत्र में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त की जाएंगी:-

नियम

संशोधन क्रमांक 3 :- विद्यमान नियम 154 को, ''नियम 154 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये, तथा उसके पश्चात् नवीन उपनियम निम्नानुसार अन्त:स्थापित किये जायें, अर्थात् :-

''154.(2) अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान, किसी मांग की राशि को घटाने अथवा कम करने के प्रस्ताव की सूचना निम्नांकित तीन श्रेणियों में होगी:-

(क) नीति निरनुमोदन कटौती
(ख) मितव्ययिता कटौती
(ग) सांकेतिक कटौती

(क) नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव :- जब सदस्य का उद्देश्य किसी मांग की नीति का निरनुमोदन करना हो तब ऐसे कटौती प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को स्पष्ट शब्दों में उस नीति का ब्यौरा बताना होगा, जिस पर वह चर्चा करना चाहता है . चर्चा उसी विशिष्ट मुद्दे / मुद्दों तक सीमित रहेगी जिसका उल्लेख सूचना में किया गया हो .

(ख) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव :- यदि किसी सदस्य का आशय व्यय में बचत से संबंधित है तो संबंधित मांग की राशि में राशि विशेष कम किये जाने का उल्लेख प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से किया जाएगा. कम करने के लिए सुझायी गई राशि, मांग में एक मुश्त राशि की कमी के बारे में होगी या मांग में से किसी मद को हटाने या उसमें कमी करने के बारे में हो सकेगी. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव की सूचना संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में, उस विशिष्ट मुद्दे का उल्लेख करते हुए दी जाएगी जिस पर चर्चा उठाने की मंशा हो तथा बचत किस प्रकार की जा सकती है, उसे केवल इसी तथ्य तक सीमित रखा जायेगा.

(ग) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव :- यदि राज्य सरकार के दायित्वाधीन क्षेत्र में किसी बात के बारे में कोई विशेष शिकायत का प्रकटन किया जाना हो तब सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी जा सकेगी. ऐसे कटौती प्रस्ताव की विषय-वस्तु को विनिर्दिष्ट विशेष शिकायत तक ही सीमित रखा जाएगा.

(3) सदस्य द्वारा मांग विशेष के लिए नीति निरनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती अथवा सांकेतिक कटौती के प्रस्ताव की चार से अधिक सूचनाएं नहीं दी जाएंगी .

(4) जब किसी मांग विशेष पर एक से अधिक सदस्यों की एक ही विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हों तो उन सूचनाओं में से सर्वाधिक सारगर्भित सूचना को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसमें सूचना देने वाले समस्त सदस्यों के नाम अंकित किए जाएंगे .

प्रपत्र

वर्ष ....के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल ।

महोदय,

मैं,...(सदस्य का नाम) वित्तीय वर्ष .... के आय-व्ययक में सम्मिलित मांग संख्या............................शीर्षक..........................बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक...............पृष्ठ .... के अन्तर्गत निम्नलिखित *कटौती-प्रस्ताव की सूचना देता हूं :-

---

*नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव / मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव / सांकेतिक कटौती प्रस्ताव

सदस्य का का पूरा नाम ....
रूपये की कमी की जावे ....
चर्चा का विषय..
....

भवदीय,

हस्ताक्षर..........................

दिनांक :

आसन क्रमांक.....................

* सदस्य द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये की वह उपर्युक्त में से किस प्रकार का कटौती प्रस्ताव देना चाहता है ।

1. नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव – से आशयित है कि – मांग की राशि घटाकर 1 रूपया कर दी जाये – ऐसे कटौती प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को स्पष्ट शब्दों में नीति का ब्यौरा दर्शाना होगा, जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो । सदस्य किसी वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकता है ।
2. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव - से आशयित है कि – मांग की राशि में ....रूपये (एक राशि विशेष) की कमी की जाये – जो की जा सकने वाली मितव्ययिता का प्रतीक हो । कम करने के लिए सुझायी गई राशि मांग में एकमुश्त राशि की कमी करने के बारे में हो सकती है या मांग में से किसी मद को हटाने या उसमें कमी करने के बारे में हो सकती है । इसमें यह भी दर्शाया जाये कि बचत किस प्रकार की जा सकती है ।
3. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव - से आशयित है कि – मांग की राशि में सौ रूपये कम किये जायें । इसका उद्देश्य यह होगा कि राज्य सरकार के दायित्वाधीन क्षेत्र में किसी बात के बारे में कोई विशेष शिकायत प्रकट की जाये । प्रस्ताव विनिर्दिष्ट विशेष शिकायत तक ही सीमित होना चाहिए ।

अत: इच्छुक मान. सदस्य अनुदानों की मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं उपर्युक्त नियमों के अधीन संशोधित प्रपत्र में ही विधान सभा सचिवालय में देने का कष्ट करें.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.